न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 612/16 अन्तर्गत धारा 84 ,86 Rt Act 1955

अनवान :–

प्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. नवाराम पुत्र भूराराम, कौम भील
निवासी राणीसर, तहसील चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– पैराकार सरकार

निर्णय

दिनांक 14.05.18

आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 84, 86 रा.का.अ. 1955 प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा मौजा राणीसर के खेत खसरा सं. 592 में अनाधिकृत बिना अनुज्ञा के दो हरे रोहिड़े के वृक्षों की कटाई की गई। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा के दो हरे रोहिड़े के पेड़ काटने पर उसके खिलाफ खेताराम पुत्र धर्माराम भील द्वारा हरे वृक्ष काटने की शिकायत की गई। दोनों हरे वृक्षों में एक रोहिड़ा लम्बाई करीबन 9 फीट व गोलाई (लपेट नाप) करबीन 01.00 फीट तथा दूसरे वृक्ष की लम्बाई करीब 10.5 फीट व गोलाई करीब 1.25 फीट है। अप्रार्थी द्वारा काटे गये रोहिड़े के वृक्ष बिना किसी सक्षम अनुमति के काटे गये है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध रा.का.अ.1955 की धारा 84, 86 के तहत कानूनी कार्यवाही की जावे। अवैध रूप से बिना इजाजत काटने पर मौके पर जब्त सरकार कर उक्त जब्त शुदा लकड़ी की सुपुर्दगी सुजानाराम पुत्र भूराराम भील निवासी राणीसर बींजासर को दी गई। जिसकी अनुमानित कीमत 2000/– रूपये होना बताया गया है, अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के विरूद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, सुपुर्दगी फर्द, नकल खतौनी पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत / कोर्ट कैम्प गोलियार में पेश हुई। प्राथी एवं अप्रार्थी नवाराम स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान को सुना गया ।

सहायक कलक्टर
चौहटन

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि खेताराम पुत्र धर्माराम जाति भील निवासी राणीसर ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर रोहिड़ा के हरे वृक्ष काटने की शिकायत की जिस पर भू.अ.नि. चौहटन द्वारा शिकायतकर्ता ख़ेताराम एवं पटवारी हल्का सणाऊ के साथ मौके पर जाकर शिकायत का सत्यापन किया तथा मौका फर्द तैयार की, जिससे स्पष्ट हुआ कि अप्रार्थी द्वारा मौजा राणीसर के खेत खसरा सं. 592 में रोहिड़े के हरे वृक्षों की कटाई की गई। अप्रार्थी नवाराम पुत्र भूराराम जाति भील ने रोहिड़ें के हरे वृक्षों को काटना स्वीकार किया । दोनों हरे वृक्षों में एक रोहिड़ा लम्बाई करीबन 9 फीट व गोलाई (लपेट नाप) करबीन 01.00 फीट मौके पर पड़ा मिला तथा दूसरा हरा रोहिड़े का वृक्ष नवाराम के खेत में नवाराम की निशानदेही पर मिला जिसकी लम्बाई करीब 10.5 फीट व गोलाई करीब 1.25 फीट है। उक्त दोनों रोहिड़े करीब 25–26 दिन पूर्व काटे बताये गये। अतः उक्त दोनों रोहिड़े जिनकी कीमत करीब दो हजार रूपये है, मौके पर जब्त सरकार कर सुजानाराम पुत्र भूराराम जाति भील, निवासी राणीसर को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप उक्त दोनों रोहिड़े अपनी निगरानी में रखे और राज्य सरकार द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अप्रार्थी द्वारा रोहिड़े के हरे वृक्षों की कटाई की गई है जो रा.का.अ. की धारा 83 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, धारा 86 के तहत शास्ती का दायी है, अतः आज्ञा है कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा के काटे गये 2 रोहिड़े के वृक्षों के लिए अप्रार्थी पर 400 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है तथा जब्त की गई लकड़ी को खुली नीलामी में बिक्री की जावे यदि लकड़ी को खुर्द–बुर्द कर दिया हो तो लकड़ी की अनुमानित कीमत 2000/– रूपये मय ब्याज 18% वार्षिक दर सुपुर्दगी तिथि से गणना कर वसूली की जावे।

निर्णय की पालना अपील की अवधि 30 दिवस गुजरने के बाद तहसीलदार द्वारा की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 14.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट में मजमे आम में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/942 दिनांक 18/5/18

प्रेषित :—

तहसीलदार चौहटन

विषय :— राजस्व आवेदन सं. 612/16 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन बनाम नवाराम वगैरा पारित निर्णय की पालना करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त आवेदन में निर्णय दिनांक 14.05.18 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :— निर्णय प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन